मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 28/22/78-जी0 एस0-II, दिनांक 9 अग
1979 की प्रति

विषय :—स्वेच्छा से खून देने वाले प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना।

महोदय,

मुझे निदेश हुए हैं कि उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 24-4 जी0 एस0-II-76/567 दिनांक 5 मार्च, 1976 की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि इसमें निहित अनुदेशों को इस सीमा तक संशोि करने का निर्णय लिया गया है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी खून दे तो उसे एक दिन की बजाए दो दिन का अवक दिया जाये। इस दो दिन के अवकाश में वह दिन भी गिना जाए जिस दिन कि खून दिया जाता है।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।